

NGP/Dir./P.H./

6324

JUN 2011

H.S. (P.H.)

वि.वि. सं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान सरकार

कार्मिक विभाग (क-3/शिका.) विभाग

5658

2011

क्रमांक प्र. 2(2)(59)का/क-3/शिका./2011

AS

29/6

जयपुर, दिनांक 28.6.11

DST

Pr...

URGENT

आदेश

215

8 JUN 2011

डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा पंजीबद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 208/2011 अन्तर्गत धारा 7.13(1)(डी), व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये गये है।

अतः राज्य सरकार राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर को निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शासन सचिवालय, जयपुर आदेश से, 29 JUN 2011 शासन उप सचिव आयरी क्रमांक 6501

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ० आत्माराम चौहान को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
6. निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर के निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश दे दें कि अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते हैं, तो निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. डॉ० आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा जिला जालौर को प्राप्ति का निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में इरा प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
8. कार्मिक (क-3/सो.प्र.) विभाग
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. रक्षित

P.T.O

राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सीबी/चि0अ0/ए-251/2011/ 363

दिनांक : 1/7/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को डा0 आत्माराम चौहान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा की पृष्ठांकित प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त की तामील डा0 चौहान को करवाकर तामील रसीद दो प्रतियों में भिजवाने की व्यवस्था करावें। (संलग्न : उपरोक्तानुसार)।
4. डा आत्माराम चौहान, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रानीवाडा को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त हो कर निलम्बन की अवस्था में निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, ए0टी0 सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
जयपुर (वेबलार्क पर प्रलक्षित)

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान जयपुर।